संख्या-242/2018/203/22-2-2018-17(53)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 22 मार्च,2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शमशाद पुत्र श्री उमरदराज, निवासी जनपद-हापुड की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2999/प्रोबेशन-3/फार्म-ए (एम-06-09-2016) दिनांक-24-01-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 24-01-2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी शमशाद पुत्र श्री उमरदराज, निवासी-एक मीनार मस्जिद, थाना-हापुड, जनपद-हापुड का रहने वाला है। बन्दी ने इकराम से रूपये 85000/- उधार लिये थे। इकराम द्वारा उधार लिये पैसे मांगे जाने पर बन्दी ने दिनांक 19-08-1994 को प्रात: लगभग 10:00 बजे बंदूक से गोली मार कर इकराम की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-610/1994 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 चतुर्थ दशम अपर सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद के आदेश दिनांक 21.02.2000 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध बन्दी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में क्रिमिनल अपील संख्या 533/2000 योजित की गयी। उक्त अपील में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06.10.2009 द्वारा अपील को निरस्त करते हुए आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 18.02.2016 तक 15 वर्ष 09 माह 11 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 11 माह 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का कोई सहअभियुक्त नहीं है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हापुड द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी ने बन्दूक से गोली मार कर इकराम की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। अत: बन्दी द्वारा किए गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हापुड द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी शमशाद पुत्र श्री उमरदराज, निवासी जनपद-हापुड को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी शमशाद (बन्दी संख्या-6560) पुत्र श्री उमरदराज, निवासी जनपद-हापुड़ के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-242/2018/203(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-हापुड़।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-242/2018/203/22-2-2018-17(53)/2017
दिनांक 22 मार्च, 2018 का संलग्नक
सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध बन्दी शमशाद (बन्दी संख्या-6560) पुत्र श्री उमरदराज, निवासी निवासी-एक मीनार मस्जिद, थाना-हापुड़, जनपद-हापुड़ का निवासी है। बन्दी ने इकराम से रूपये 85000/- उधार लिये थे। इकराम द्वारा उधार लिये पैसे मांगे जाने पर बन्दी ने दिनांक 19-08-1994 को प्रात: लगभग 10:00 बजे बंदूक से गोली मार कर इकराम की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-610/1994 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 चतुर्थ दशम अपर सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद के आदेश दिनांक 21.02.2000 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध बन्दी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में क्रिमिनल अपील संख्या 533/2000 योजित की गयी। उक्त अपील में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06.10.2009 द्वारा अपील को निरस्त करते हुए आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 18.02.2016 तक 15 वर्ष 09 माह 11 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 11 माह 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का कोई सहअभियुक्त नहीं है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हापुड़ द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी ने बन्दूक से गोली मार कर इकराम की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। अत: बन्दी द्वारा किए गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हापुड़ द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी शमशाद पुत्र श्री उमरदराज, निवासी जनपद-हापुड़ को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in